**<u>आवश्यक सूचना</u>**

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा शासन की लैण्ड पूलिंग नीति के अन्तर्गत संचालित नई जेल रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (सौमित्र विहार योजना), मोहनलालगंज, लखनऊ एवं फेज-2 के भूमि अधिग्रहण हेतु धारा-28 का गजट प्रकाशन क्रमशः दिनांक 01.02.2021 एवं 22.07.2023 को कराया गया था । उक्त योजना की धारा-31(2) के अन्तर्गत शासन से स्वीकृति क्रमशः दिनांक 18.09.2023 एवं 02.08.2024 को प्राप्त होने के उपरान्त धारा-32 का गजट प्रकाशन क्रमशः दिनांक 11.11.2023 एवं 28.09.2024 को कराया जा चुका है । उक्त अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों (ग्राम- हबुआपुर, मोहारी कला, सिठौली खुर्द एवं सिठौली कला) की भूमि का विकास अनुबन्ध भू-स्वामियों एवं परिषद के मध्य विकास अनुबन्ध कराने/अन्य किसी जानकारी हेतु कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-08, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अवध शिल्पग्राम, अवध विहार योजना, लखनऊ में सहायक अभियन्ता- श्री जे.पी. मौर्य, मो.नं.- 8795810263 से सम्पर्क किया जा सकता है ।

उक्त के क्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15.11.2025 तक हितबद्ध भूस्वामी विकास अनुबन्ध हेतु प्रपत्र कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-08, अवध शिल्पग्राम, अवध विहार योजना, लखनऊ में जमा कर दें । नियत तिथि के उपरान्त इस कार्यालय में विकास अनुबन्ध हेतु प्रपत्र न प्रस्तुत कराने वाले भू-स्वामियों की भूमि का उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण/कब्जे की कार्यवाही की जायेगी ।

**आज्ञा से**

**सक्षम अधिकारी**

**उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद**

PE